

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|-----------------------------------|---|--|
| 31/5/22 सुमेरालिड रामप्रताप | 54/2018 रामप्रताप v/s रामेश्वर पत्रावली पेश हुई। वकील उग्रपक्ष उप-। वकील अपीलार्थ ने समय चाहा। अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली पूर्व आदेश नुसार दिनांक 14/6/22 को पेश हो। छतिशख संभागीय आयुक्त बयपुर | |
| 14/6/22 | पत्रावली पेश हुई। वकील उग्रपक्ष उप-। वकील अपीलार्थ ने समय चाहा। अंतिम अवसर दिया जाकर पत्रावली पूर्व आदेश नुसार दिनांक 28/6/22 को पेश हो। छतिशख संभागीय आयुक्त बयपुर | |
| 28/6/22 | पत्रावली पेश हुई। वकील उग्रपक्ष उपस्थित। वकील अपीलार्थ श्री अशोक कुमार विजय ने प्राथमता पत्र प्रस्तुत कर अपील को वापस लिये जाने व आगे नहीं चलाने के कारण अपील को वापस लिये जाने व अपील को अपीलार्थ स्वारीज किये जाने हेतु निवेदन किया गया। वकील रेस्पॉन्डेंट ने अपनी सहमति प्रदान की है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अतः प्राथमता पर स्वीकार किया जाता है तथा अपीलार्थ द्वारा अपील वापस लिये जाने व आगे नहीं चलाने से अपील अपीलार्थ स्वारीज की जाती है। के पत्रावली फसल नुसार होकर नम्बर से कम हो। अन्तिम नम्बर न्यायालय रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ फालनाथ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फसल नुसार होकर नम्बर पूर्व लेख भण्डार हो। छतिशख संभागीय आयुक्त बयपुर | रामप्रताप सुमेरालिड र ए |